फा.सं. 354/136/2017-टीआरयू

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(कर अनुसंधान इकाई)

*****

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/ प्रधान महानिदेशक,
मुख्य आयुक्त/ महा निदेशक,
प्रधान आयुक्त/ आयुक्त
सीबीईसी के अंतर्गत सभी

महोदया/ महोदय,

विषय : निर्यात पर लगने वाले प्रतिपूर्ति उपकर के प्रयोजन शून्य रेटेड आपूर्ति से संबंधित आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण- की बावत।

प्रतिपूर्ति उपकर से संदर्भित निर्यात की जीरो रेटिंग पर विचार किया गया।

2. माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017, एतश्मिन पश्चात जिस [जीएसटीसी अधिनियम, 2017] के रूप में संदर्भित किया गया है की धारा 8 को इस प्रकार पढ़ा जाए:-

"8 (1) ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यीय आपूर्तियों, जैसा कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, की धारा 9 में प्रावधान किया गया है, तथा ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यीय आपूर्तियों, जैसा कि एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान किया गया है, पर उपकर लगाया जाएगा। तथा इसे माल एवं सेवा कर के लागू होने के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य हेतु परिषद की सिफारिशों पर जैसा कि निर्धारित किया गया है, इसी तरीके से केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम के लागू होने की

तिथि से परिषद की सिफारिशों पर पांच वर्षों या ऐसी अवधि जैसा निर्धारित किया गया है, के लिए एकत्रित किया जाएगा।

(2) ये उपकर अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार माल एवं सेवाओं की ऐसी आपूर्तियों पर लगाया जाएगा। ये मूल्य, मात्रा या ऐसी दर, जो कि अनुसूची के कॉलम (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्धारित दर से अधिक न हो, के आधार पर लगाया जाएगा। जैसा कि केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करे:"

3. तदनुसार, जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न आपूर्तियों पर लगाए जाने वाले प्रतिपूर्ति उपकर की लागू दरों को अधिसूचना सं. 1/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर) के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

4. इसके अलावा आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की उप-धारा (5) के अनुसार, माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, जब आपूर्तिकर्ता भारत में निवास करता हो तथा आपूर्ति का स्थान भारत से बाहर हो, को अंतरराज्यीय आपूर्ति माना जाएगा। अत: निर्यात जो कि अंतरराज्यीय आपूर्ति हो, पर प्रतिपूर्ति उपकर लागू हो सकता है। हालांकि यह इस सिद्धांत के अनुसार काम नहीं करता है कि "नो टैक्सेस बी इक्सपोर्टेड, एंड इक्सपोर्ट हैव टू बी जीरो रेटेड।"

5. निर्यात की जीरो रेटिंग से संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं :

"16 (1) "शून्य रेटेड आपूर्ति" से आशय निम्नलिखित वस्तुओं या सेवाओं या दोनों वस्तुओं या सेवाओं या दोनों में से किसी की भी आपूर्ति से है, नामत:-

(क) माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात; अर्थात

(ख) विशेष आर्थिक जोन डेवलपर या विशेष आर्थिक जोन यूनिट को माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति।

(2) केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के अधीन, इनपुट कर का क्रेडिट जीरो रेटेड आपूर्तियों बनाए जाने के लिए लिया जा सकता है। इसके बावजूद कि ऐसी आपूर्ति छूट प्राप्त आपूर्ति हो सकती है।

(3) शून्य रेटेड आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्ति को निम्नलिखित विकल्पों में से किसी के भी अंतर्गत रिफंड का दावा करने का हक होगा; अर्थात :-

(क) वह बांड अथवा वचन-पत्र के तहत बिना एकीकृत कर के भुगतान तथा उपयोग नहीं किए गए इनपुट कर क्रेडिट कर क्रेडिट के रिफंड को दावे के बिना, ऐसी शर्तों, रक्षोपाय तथा प्रक्रिया, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति कर सकता है।

(ख) वह एकीकृत कर के भुगतान पर माल या सेवा या दोनों की ही आपूर्ति कर सकता है बशर्ते कि रक्षोपाय और प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसे वस्तु या सेवा या दोनों पर भुगतान कर की वापसी का दावा कर सकते हैं।

ऐसा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किया जा सकता है। "

6. इसके अलावा वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 11 में यह प्रावधान है कि-

"11 (1) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों के अंतर्गत जिसमें कि आकलन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी, ब्याज, अपील, अपराध और दण्ड भी शामिल हैं, जहां तक संभव हो यथावश्यक परिवर्तनों सहित वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर धारा 8 के अंतर्गत लगाए जाने वाले लेवियों और उपकरों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम के अंतर्गत या उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत होने वाले अंतरराज्यीय आपूर्ति पर केन्द्रीय कर के संग्रहण के मामले में लागू होते हैं।

(2) एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों के अंतर्गत जिसमें कि आकलन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी, ब्याज, अपील, अपराध और दण्ड भी शामिल हैं, जहां तक संभव हो यथावश्यक परिवर्तनों सहित वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर धारा 8 के अंतर्गत लगाए जाने वाले लेवियों और उपकरों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम के अंतर्गत या उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत होने वाले अंतरराज्यीय आपूर्ति पर केन्द्रीय कर के संग्रहण के मामले में लागू होते हैं।

बशर्ते कि धारा 8 के अंतर्गत जिन वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाए गए उपकर के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है उसका उपयोग उसी उपकर के भुगतान के लिए किया जाएगा जो कि उक्त धारा के अंतर्गत ऐसे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है।"

7. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा 2 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों सहित धारा 8 के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लगाए जाने वाले उपकर को वसूलने और उसके संग्रहण के मामले में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत एकीकृत कर को लगाए जाने और उसको वसूले जाने के मामले में लागू होते हैं।

8. उपर्युक्त की दृष्टि से और जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर एतदद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि आईजीएसटी ऐक्ट, 2017 की धारा 16 के प्रावधान, जो कि जीरो रेटेड सप्लाई से संबंधित हैं, यथावश्यक परिवर्तनों सहित प्रतिपूर्ति उपकर (जहां भी लागू हो) के उद्देश्य लागू होंगे अर्थात-

(क) इसके कहने का मतलब यह है कि निर्यातकर्ता अपने द्वारा निर्यातित वस्तुओं पर भुगतान किए गए प्रतिपूर्ति उपकर को वापस लेने का पात्र होगा [उसी तरह से जैसे कि आईजीएसटी, 2017 की धारा 16(3) के अंतर्गत आईजीएसटी को वापस लेने के लिए]; या

(ख) निर्यातक द्वारा बाण्ड के अंतर्गत किए गए वस्तु के निर्यात पर कोई भी प्रतिपूर्ति उपकर नहीं लगाया जाएगा और वह ऐसे निर्यातित वस्तुओं से संबंधित प्रतिपूर्ति उपकर की इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफण्ड का भी पात्र होगा [उसी तरह से जैसे कि आईजीएसटी ऐक्ट,2017 की धारा 16 (3)(क) के अंतर्गत इनपुट टैक्स के वापसी का हकदार है]।

9. सभी संबंधित लोगों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को अपने संज्ञान में ले लें।

10. ट्रेड नोटिस/ सार्वजनिक सूचना जारी की जाए। यदि इस परिपत्र के क्रियान्वयन में कोई पेरशानी आ रही है तो बोर्ड की जानकारी में लाया जाए।

भवदीय,

(देवरंजन मिश्र)

तकनीकी अधिकारी (टीआरयू)